रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102025-267118
CG-DL-E-24102025-267118

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 696]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947
No. 696]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/KARTIKA 2, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि.780(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ग की उप-धारा (2), (3) और (4) तथा धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 1 के उप-नियम (1) में, "राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) में,—

(क) खंड (ख), (ग) और (ञ) में, "राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

'(झक) "अपतट क्षेत्र" का वही अर्थ होगा जो अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (2003 का 17) की धारा 4 के खंड (ढ) के अधीन परिभाषित है; और'

4. उक्त नियमों के नियम 6 में,—

(क) उप-नियम (1) में, "राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-नियम (3) में, —

(i) "दो प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "तीन प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "पूर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र-सह-खनन पट्टे" शब्दों के स्थान पर "समेकित अनुज्ञप्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उप-नियम (4) में, "स्कीम अर्थात 'निधि के अधीन क्षेत्रीय और विस्तृत खोज और संबंधित कियाकलापों' के अधीन खनिजों के लिए क्षेत्रीय और विस्तृत खोज करने के साथ" शब्दों का लोप किया जाएगा।

5. उक्त नियमों के नियम 7 के उप-नियम (1) में,—

(क) "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर "समेकित अनुज्ञप्ति" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "दो प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "तीन प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

6. उक्त नियमों में नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

"**8. कार्यालय.**— न्यास का कार्यालय नई दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान पर स्थित होगा जैसा कि कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित किया जा सके।"

7. उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (1) में,—

(क) प्रारंभिक वाक्यांश के स्थान पर निम्न्लिखित को रखा जायेगा, अर्थात्:-

"न्यास का उददेश्य भारत के भीतर, अपतट क्षेत्रों सहित, और भारत के बाहर खानों तथा खनिजों के क्षेत्रीय एवं विस्तृत खोज और विकास के प्रयोजनों के लिए न्यास को प्रोद्भूत निधियों का उपयोग करना होगा, और यह ऐसे क्रियाकलापों को करेगा जो शासी निकाय द्वारा अपने उद्देश्यों को शामिल करते हुए प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझी जा सकेगी";

(ख) खंड (क) में, शब्द "जो" के पश्चात् "महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज या" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (छ) में, "सम्पूर्ण भारत में" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(घ) खंड (ज) में, "और शेष भारत के सर्वेक्षण" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ङ) खंड (ञ) में, शब्द "और" का लोप किया जाएगा;

(च) खंड (ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(ञक) राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के उद्देश्यों और स्कीमों को सहायता प्रदान करना और उनका वित्तपोषण करना, जिसमें घरेलू महत्वपूर्ण खनिज गवेषण, भारत के बाहर खोज क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करना, विदेशी स्रोत्र और खनिज पुनर्प्राप्ति का जोखिम कवरेज शामिल है;

(ञख) खनन, प्रसंस्करण, परिष्करण, निकासी अवसंरचना, प्रौद्योगिकी उन्नयन और खान विकास से संबंधित अन्य क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करना और उनका वित्तपोषण; और";

(छ) खंड (ट) में, "भारत में" शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. एम.VI/8/2025-खान VI]

दिनेश माहुर, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 623(अ) दिनांक 14 अगस्त, 2015 *द्वारा* प्रकाशित किए गए थे और संख्यांक *सा.का.नि.* 208(अ) दिनांक 7 मार्च, 2018 *द्वारा* संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2025

G.S.R. 780(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2), (3) and (4) of section 9C and section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Mineral Exploration Trust Rules, 2015, namely:—

1. (1) These rules may be called the National Mineral Exploration Trust (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Mineral Exploration Trust Rules, 2015 (hereinafter referred to as the 'said rules'), in rule 1, in sub-rule (1), for the words "National Mineral Exploration Trust", the words "National Mineral Exploration and Development Trust" shall be substituted.

3. In the said rules, in rule 2, in sub-rule (1),—

(a) in clauses (b), (c) and (j), for the words "National Mineral Exploration Trust", the words "National Mineral Exploration and Development Trust" shall be substituted;

(b) in clause (i), the word "and" shall be omitted;

(c) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely—

'(ia) "Offshore areas" shall have the same meaning as defined in clause (n) of section 4 of the Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Act, 2002 (17 of 2003); and'

4. In the said rules, in rule 6,—

(a) in sub-rule (1), for the words "National Mineral Exploration Trust", the words "National Mineral Exploration and Development Trust" shall be substituted;

(b) in sub-rule (3),—

(i) for the words "two percent", the words "three percent" shall be substituted;

(ii) for the words "prospective license-cum-mining lease", the words "composite licence" shall be substituted;

(c) in sub-rule (4), the words ", including carrying out regional and detailed exploration for minerals under the scheme, namely, 'Regional and detailed exploration and related activities under Fund'" shall be omitted.

5. In the said rules, in rule 7, in sub-rule (1),—

(a) for the words "prospecting license-cum-mining lease", the words "composite licence" shall be substituted;

(b) for the words "two percent", the words "three percent" shall be substituted.

6. In the said rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely:—

"**8. Office.—** The office of the Trust shall be situated at New Delhi or at such other place as may be determined by the Executive Committee.".

7. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1),—

(a) for the opening paragraph, the following shall be substituted, namely:—

"The object of the Trust shall be to use the funds accrued to the Trust within India, including the offshore areas, and outside India for the purposes of regional and detailed exploration and development of mines and minerals, and it shall undertake such activities as may be deemed necessary by the Governing Body to achieve its objects, including";

(b) in clause (a), after the word "refine", the words "critical and strategic minerals or" shall be inserted;

(c) in clause (g), the words "across India" shall be omitted;

(d) in clause (h), the words "and rest of India" shall be omitted;

(e) in clause (j), the word "and" shall be omitted;

(f) after clause (j), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(ja) supporting and funding the objectives and schemes of the National Critical Mineral Mission, including domestic critical mineral exploration, support of exploration activities outside India, risk coverage of foreign sourcing and mineral recovery;

(jb) supporting and funding of mining, processing, beneficiation, evacuation infrastructure, technology upgradation, and other activities related to mine development; and";

(g) in clause (k), the words "of India" shall be omitted.

[F. No. M.VI/8/2025-Mines VI]

DINESH MAHUR, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 623(E), dated the 14th August, 2015 and was amended, *vide* number G.S.R. 208(E), dated the 7th March, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.